फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

राजेश प्रतिहार पिता पुष्कर राज मीणा नि. बोराणी

बनाम

कजोड पिता सुखा मीणा नि. पांचा का बाडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1107/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
22.11.21	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 2777, 2778 कुल किता 02 रकबा 1.14 बीघा स्थित है। उक्त कृषि आराजी के अप्रार्थीगण पडौसी है। जो आये दिन उक्त भूमि की सीमाचिन्हों को लेकर कम ज्यादा भूमि बताकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार से विवाद करते है। एवं प्रार्थी की उक्त भूमि की स्थाई सीमा चिन्हो की जानकारी नही होने के कारण आये दिन फसल की बुआई कटाई के समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 2777, 2778 कुल किता 02 रकबा 1.14 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner